माल का खेड़ा

नोट: ... 1816 ...

जनरल ... सिविल ... 129 ...

न्यायालय ... खण्ड अधिकारी बिजौ... (राज.)

2024/335

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख	फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
131 - 136 प्रार्थना पत्र		2024/335		
	New 228/24 228/24	26/6/24	24/3/25 खारीज/दाखिल दफ्तर ~~निर्णय आदेश~~	29/7/24 29/8/24 30/10/24 20/11/24 17/12/... 14/1/... 13/2/... 6/3... 24/... 07/04 13/5/...

बनाम

श्री भूरा पिता देवी तेली ... श्री तहसीलदार

निवासी भवानजी का खेड़ा ... निवासी माण्डलगढ़

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट ... अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / ...

श्री हिरा चन्द्र तम्बोली B.P.T. ... पेशकार ...

FORM NO. III

हुक्म अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

नम्बर मुकदमा धारा .... बनाम ....

CMS नम्बर– .... प्रकरण संख्या ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/1/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्रवण प्रसाद तिवाड़ी ने अधिकार पत्र पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता निपट्टी तामील पेश होंगे। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 14/01/25 को पेश हो।	
14/1/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 3/2/25 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
3/2/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 6/3/25 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	तामील होगई।
6-3-25	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार बिजौलिया को तामील करवाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब (TOR) आगामी दिनांक 24/03/25 को पेश हो।	
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी दिनांक 07/04/25 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/5/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस आगामी दिनांक 13/5/25 को पेश हो
13/5/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] प्रतिवाद उपस्थित श्रीमान P.O. [illegible] पत्रावली दिनांक 21/5/25 को [illegible] निर्णय/बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
21/5/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली को अस्वीकार/खारिज किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए गए एवं विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 228 / 2024 प्रार्थनापत्र प्राप्ति दिनांक 26 / 06 / 2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ से प्राप्त पत्रावली में प्रार्थनापत्र संख्या :– 79 / 2019 दायर तारीख 25 / 10 / 2019 अंकित हैं।)

अनवान

भूरा पिता देबी जाति तेली उम्र वयस्क निवासी भवान जी का खेड़ा, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा (राज0)।

............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– 1. श्री ब्रह्मप्रकाश तिवाड़ी – अधिवक्ता प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

–: निर्णय :–

दिनांक 21 / 05 / 2025

यह पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ के पत्रांक / राजस्व / 2024 / 782 दिनांक 04.04.2024 से दिनांक 26.06.2024 को इस न्यायालय को सुनवायी हेतु प्राप्त हुई हैं।

! **इस** प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ब्रह्मप्रकाश तिवाड़ी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि **मौजा ग्राम धनवाड़ा प0ह0 माल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ में प्रार्थी में खाते एवं कब्जे काश्त में स्थित आराजी खसरा संख्या 319 / 7 रकबा 5–00 बीघा भूमि** स्थित हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी वर्षो से काबिज होकर निरन्तर शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा हैं। उक्त भूमि में राजस्व रेकॉर्ड के मुताबिक राजस्व नक्शे में उक्त भूमि दर्ज नहीं की गयी है जिसे आये दिन प्रार्थी को असहनीय क्षति हो रही हैं। उक्त विवादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड के मुताबिक राजस्व नक्शे में सही दर्ज नही की गयी है जिसका नजरी नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न हैं। प्रार्थी ने उक्त राजस्व नक्शे को दुरस्त करने हेतु विपक्षी को 15.09.2019 को कहा तो इन्कार हो गये जिससे प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की नोईयत पैदा हुई हैं। आराजी नं0 319 बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड हैं। प्रार्थी ने ग्राम धनवाड़ा की आराजी खसरा संख्या 319 / 7 रकबा 5–00 बीघा भूमि राजस्व नक्शे में सही तरमीम किया जाकर दुरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जाना चाहा हैं।

! प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक / भू0अ0 / 2021 / 1876 दिनांक 27.08.2021 से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया कि :– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 दस्तावेजी होने स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार हैं। उक्त आराजी नक्शें में दर्ज हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार हैं। उक्त आराजी राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार नक्शें में दर्ज हैं।

लगातार पेज संख्या 02 प

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार हैं। राजस्व नक्शें में पूर्व में ही राजस्व अनुसार दर्ज हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार हैं। प्रार्थी की भूमि राजस्व में मौके पर कब्जेनुसार ही दर्ज हैं। प्रार्थी ख.नं. 319 बिलानाम भूमि में करवाना चाहता जो किया उचित नही हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि व रेकार्ड अनुसार नक्शे में तरमीम हैं। प्रार्थी बिलानाम भूमि में कब्जा करने की नियत से तरमीम ना चाहता है। जो विधि के विरूद्ध हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 कानूनी होने से जवाब की श्यकता नहीं हैं। ग्राम धनवाड़ा की आ.नं. 319/7 रकबा 5.00 बीघा भूमि राजस्व नक्शे में राजस्व र्ड अनुसार दर्ज है। प्रार्थी बिलानाम भूमि में कब्जा करने की नियत से तरमीम करवाना चाहता है। विधि के विरूद्ध हैं। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही हैं। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र को रिज करने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दस्तावेज के साथ मौजा नकल जमाबन्दी ग्राम धनवाड़ा सम्वत् 2074 से 2077 नक्शा ट्रेस ग्राम धनवाड़ा की प्रति संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में बताया कि प्रार्थी की ग्राम धनवाड़ा की आराजी खसरा संख्या 9/7 रकबा 5–00 बीघा भूमि राजस्व नक्शे में सही तरमीम किया जाकर दुरस्त करवाना चाहा हैं। रोकार सरकार स्वयं ने बहस में बताया कि ग्राम धनवाड़ा की आ.नं. 319/7 रकबा 5.00 बीघा भूमि जस्व नक्शे में राजस्व रेकॉर्ड अनुसार दर्ज है। प्रार्थी बिलानाम भूमि में कब्जा करने की नियत से रमीन करवाना चाहता है। जो विधि के विरूद्ध हैं। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारीज रनाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना त्र अस्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का मौजा ग्राम धनवाड़ा की आराजी खसरा संख्या 319/7 रकबा 5–00 बीघा भूमि की राजस्व नक्शे में सही तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** अस्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 21/05/2025 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां